



प्रेस नोट – 14.04.2021

एस0टी0एस0 व थाना मटसैना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही

2.5 माह पूर्व मटसैना क्षेत्र के व्यापारी के साथ हुयी लूट की घटना से सम्बन्धित बहीखातों की वापसी हेतु रुपये की माँग करने वाले शातिर लुटेरे मय अवैध असलाहों के साथ पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार ।

- गैंग के सरगना राहुल उर्फ टौंटा द्वारा पूर्व में भी लूट और अपहरण की कई घटनाओं को दिया गया है अन्जाम ।
- लूट के बाद व्यापारी को उसके बहीखातों की वापसी के एवज में की जा रही थी 50000/- रु0 की माँग ।
- शातिर लुटेरों पर पूर्व में भी दर्ज है 02 दर्जन से अधिक अभियोग ।
- यदि लुटेरों को गिरफ्तार न किया जाता तो रात्रि में जसराना पेट्रोल पम्प से लूट की घटना की थी योजना ।
- एसटीएस टीम व थाना मटसैना पुलिस ने घेराबंदी कर पुलिस मुठभेड के बाद इन बदमाशों को दबोचा ।
- शातिर लुटेरों द्वारा पूछताछ के दौरान शिकोहाबाद क्षेत्र में बेकरी मालिक से की गयी लूट को भी स्वीकारा ।

दिनांक 29.01.2021 को शाम के समय अशोक कुमार शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा नि0 शेरपुर थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद जलालपुर स्थित अपनी दुकान बन्द कर अपने घर वापस जा रहे थे तभी रास्ते में कुछ अज्ञात लुटेरों द्वारा जलालपुर से निकलते ही उक्त कपडा व्यापारी से उनका बहीखातों से भरा थैला व 12000/- रु0 लूट लिये थे, जिसके सम्बन्ध में थाना मटसैना पर मु0अ0सं0 23/2021 धारा 392/385 भादवि पंजीकृत हुआ था।

दिनांक 16.02.2021 को शाम के समय बेकरी फ्रैक्ट्री एटा चौराहा शिकोहाबाद के मालिक शीलेन्द्र सिंह के ऑफिस से 04 अज्ञात बदमाशों द्वारा 150000/- रु0 लूट लिये गये थे, जिसके सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पर मु0अ0सं0 106/2021 धारा 392 भादवि पंजीकृत हुआ था।

उक्त घटनाओं का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद द्वारा गम्भीरता से तत्काल संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में एस0टी0एस0 व थाना मटसैना की एक संयुक्त टीम गठित कर घटना के जल्द से जल्द खुलासे हेतु निर्देशित किया गया था ।

घटना के खुलासे हेतु एस0टी0एस0 टीम व थाना मटसैना पुलिस द्वारा व्यापारी से की गयी लूट व लूट में गये दस्तावेजों को वापस किये जाने के एवज में शातिर लुटेरे अज्ञात लोगों की आईडी से लिये गये सिम का प्रयोग कर रुपयों की माँग कर रहे थे जिस कारण पुलिस टीम द्वारा पकडना सम्भव नहीं हो पा रहा था, लेकिन दिनांक 13.02.2021 को जब लुटेरे लालच में आकर वादी से पैसे लेने हेतु दतावली अन्डरपास आये उसी समय पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर उक्त लुटेरों को दबोचने का प्रयास किया तो उनके द्वारा अवैध तमन्चों से पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी जिन्हें आवश्यक बल प्रयोग कर हिरासत में लिया गया व तलाशी लिये जाने पर लूटे गये दस्तावेज व अवैध असलाह बरामद करते हुए पूछताछ किये जाने पर गैंग के सरगना राहुल यादव उर्फ टौंटा द्वारा बताया गया कि लगभग 2.5 माह पूर्व जलालपुर से शेरपुर जाने वाले रास्ते पर शंकर उर्फ शंकरिया की मुखबिरी पर हमने कपडा व्यापारी से लूट की घटना को अन्जाम दिया था, अन्य घटना को स्वीकार करते हुए दिनांक 16.02.2021 को एटा चौराहा शिकोहाबाद पर बेकरी मालिक से भी की गयी लूट को मेरे अन्य साथी जितेन्द्र उर्फ जन्त्री, शंकर उर्फ शंकरिया व उपेन्द्र पुत्र धनीराम के साथ मिलकर अन्जाम दिया गया था व आज भी मेरे व मेरे अन्य साथियों द्वारा जसराना पेट्रोल पम्प से लूट करने की योजना थी जिससे पहले ही पुलिस द्वारा हमें गिरफ्तार कर लिया गया । उक्त घटनाओं में लिप्त 20000/- रु0 का इनामी शंकर उर्फ शंकरिया पूर्व में थाना मखनपुर में बैंक आफ बडौदा के कर्मचारी से

हुयी लूट में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्तगण को थाने पर ले जाकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. राहुल यादव पुत्र रामवीर सिंह नि0 सिकन्दरपुर थाना एका जनपद फिरोजाबाद ।
2. सोनू यादव पुत्र अशोक यादव नि0 इन्दरगढ थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।
3. रिन्कू यादव पुत्र मान सिंह नि0 नगला अमर सिंह थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।

वाँछित अभियुक्त:-

1. जितेन्द्र उर्फ जन्त्राीपुत्र नत्थीलाल नि0 मोहल्ला खेडा थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
2. उपेन्द्र पुत्र धनीराम नि0 नगला जईया थाना एका जनपद फिरोजाबाद ।

बरामदगी:-

1. मो0सा0 हीरो एक्सट्रीम - 01 अदद
2. रजिस्टर (बहीखाता) - 08 अदद
3. मोबाइल - 06 अदद
4. डायरी - 01 अदद
5. अवैध तमन्चा 315 बोर - 03 अदद
6. जिन्दा कारतूस 315 बोर - 11 अदद
7. खोखा कारतूस 315 बोर - 01 अदद

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 83/2021 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 84/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद बनाम राहुल उपरोक्त।
3. मु0अ0सं0 85/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद बनाम सोनू उपरोक्त।
4. मु0अ0सं0 86/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद बनाम रिन्कू उपरोक्त।

राहुल यादव का आपराधिक इतिहास:-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	313/2004	307 भादवि	एका	फिरोजाबाद
2	47/2006	392/120बी/411 भादवि	मोगर्रा	मथुरा
3	323/2007	307 भादवि	एका	फिरोजाबाद
4	328/2007	25 आर्म्स एक्ट	एका	फिरोजाबाद
5	459/2007	2/3 गैंगस्टर एक्ट	उत्तर	फिरोजाबाद
6	692/2009	364ए भादवि	हाईवे	मथुरा
7	744/2009	307 भादवि	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद
8	745/2009	25 आर्म्स एक्ट	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद
9	67/2010	364ए/120बी भादवि	गौतमबुद्धनगर	गौतमबुद्धनगर
10	252/2012	364ए/120बी भादवि	गौतमबुद्धनगर	गौतमबुद्धनगर
11	281/2012	307 भादवि	न्यू आगरा	आगरा
12	81/2013	302/120बी भादवि	नसीरपुर	फिरोजाबाद
13	421/2014	392/302/411 भादवि	जसराना	फिरोजाबाद

14	37/2020	394/411 भादवि	एका	फिरोजाबाद
15	586/2014	392 भादवि	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद
16	33/2015	307 भादवि	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद
17	34/2015	25 आर्म्स एक्ट	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद
18	67/2015	2/3 गैंगस्टर एक्ट	जसराना	फिरोजाबाद
19	606/2014	395/412/397 भादवि 10/12 डी0ए0 एक्ट	एकदिल	इटावा
20	386/2014	394/342 भादवि	जसराना	फिरोजाबाद
21	984/2014	395/412/120बी भादवि	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद

सोनू यादव का आपराधिक इतिहास:-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	12/2015	3/25 आर्म्स एक्ट	कोहना	कानपुर
2	16/2015	224 भादवि	जीआरपी	फिरोजाबाद
3	30/2015	174ए भादवि	जीआरपी	फिरोजाबाद
4	84/2016	147/148/353/332/307 भादवि	कोहना	कानपुर
5	22/2015	2/3 गैंगस्टर एक्ट	जसवन्तनगर	इटावा
6	221/2015	2(बी)(1), 3(1) उप्र गिरो0बन्द0 समाज वि0 क्रि0 अधि0	जसवन्तनगर	इटावा
7	09/2015	392/412/414 भादवि, 10/12 डी0ए0 एक्ट	जसवन्तनगर	इटावा

उपरोक्त के अतिरिक्त इनके द्वारा किये गये अन्य अपराधों से सम्बन्धित आपराधिक इतिहास की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम: -

1. प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र थाना मटसैना, फिरोजाबाद।
2. प्रभारी एसटीएस हरवेन्द्र मिश्रा, जनपद - फिरोजाबाद।
3. प्रभारी सर्विलान्स विक्रान्त तौमर, जनपद - फिरोजाबाद।
4. व0उ0नि0 वीरेन्द्रपाल सिंह थाना मटसैना, फिरोजाबाद।
5. आरक्षी 742 रजत उपाध्याय थाना मटसैना, फिरोजाबाद।

एस0टी0एस0 टीम:- 1. मु0आ0 291 दिनेश कुमार 2. आरक्षी लव प्रकाश 3. आरक्षी प्रेम सिंह 4. आरक्षी प्रवीन कुमार

सर्विलान्स टीम:- 1. है0का0 673 आशीष शुक्ला, 2. आरक्षी 1361 अमित उपाध्याय।

नोट:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोदय द्वारा घटना का अनावरण करने वाली टीम के उत्साहवर्धन हेतु 25000 रु0 की नगद धनराशि से पुरस्कृत किया गया है।